

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक 45/UC3HC(भव-1)/जोन-1/N.H/2014-15 दिनांक 02/08/2016

01

विनियमितीकरण-पत्र

यह विनियमितीकरण UC3HC नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत ली जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिर पर नर्सिंग होम को विनियमित किया जा रहा है, इसरो किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या राजस्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।


श्री गनीन्द्र सिंह बघेल एवं श्री योगेन्द्र सिंह बघेल पुत्रगण श्री लाल निशाकर सिंह व अन्य द्वारा पार्ट आफ साईट नं०-148बी सिविल स्टेशन, इलाहाबाद के जोन संख्या (1) के अन्तर्गत स्थित नर्सिंग होम का विनियमितीकरण मानचित्र की स्वीकृति/निर्माण उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 30.01.2016 के द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. UC3HC नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 45 (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिनियम किया जायेगा, ध्यान निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तित (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तों पूर्ण करने के पश्चात्, निर्मित किये जाने वाले पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें अ के.के.एल./इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 08 अद्द गृह लगाने होंगे तथा बुको के उपा-पात्र रखने का पारित्व आवेदक का होगा।
5. स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक रूप से की जायेगी।
6. स्थल पर रेन्वाटर हावैस्टिंग प्रणाली मास्क के अनुसार पूर्ण कराकर मु. गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्मित किया जायेगा।
7. गेजिगल वेस्ट का निरधारण अनिवार्य रूप से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं हैण्डलिंग रूलर 1998 अथवा अन्य प्रभावी नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाना तथा समय-समय पर नवीनीकरण भी करवा जाय।
8. नौके पर मौजूद पुराने निर्माण को स्वयंसेवक इन्जीनियर की देख-रेख में हस्त कराना होगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वस्तीकरण के दौरान किसी भी प्रकार की जन-घन की जाने न होने पाये, इस आशय का शपथ पत्र (85AC 137894 दिनांक 06.01.2016) का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
9. पूर्व स्वीकृत मानचित्र नरमिट सं०-45/20080 भवन/जोन 1/प्रस्ताव/2014 16 दिनांक 02.2.2015 में अंकित अन्य प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन वाध्यकारी होगा।
10. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रवृत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति सू-स्वागतित का अधिकार प्रदान नहीं करती है। सू-स्वागतित सम्बन्धी कोई भी विवाद समस्त न्यायालय/प्राधिकारों द्वारा ही निराधारित किया जा सकेगा है।
11. यदि आवेदक/आवेदिका द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो UC3HC नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (3) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
12. भवन निर्माण से यदि नाली के राक्ष की पट्टी अथवा राक्ष या नली के किसी भाग (जो नाली के आय भाग, पूरा भाग अथवा उसके आधार के कारण ब्रक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से नरमत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
13. इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1966 (इम्पियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 1966) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटाय सकता है।


संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

Received
M.B. Singh
24/8/16


02/08/16
(गुलाकेश शर्मा)
संयुक्त सचिव
96




BASEMENT PLAN




STILT PLAN




FIRST FLOOR PLAN



SECOND FLOOR PLAN



STAIR SECTION




THIRD FLOOR PLAN

FRONT ELEVATION



SITE PLAN



RAIN WATER HARVESTING


NOTE :-

LINE CONC. IN FOUNDATION FLOORING OVER R.C.C. SLAB

- TOTAL PLOT AREA = 352.28 MF
- ROAD MEASURING AREA = 58.28 MF
- NET PLOT AREA = 304.00 MF
- BASE AREA = 110.85 MF
- SANCT. AREA ON STILT.F. = 110.85 MF
- SANCT. AREA ON F.F. = 110.85 MF
- SANCT. AREA ON S.F. = 110.85 MF
- SANCT. AREA ON T.F. = 110.85 MF
- OPEN AREA ON G.F. = 102.15 MF
- MAINTY. AREA = 13.43 MF
- ACHIEVED F.A.R. = 0.11 APPROX

ALLEYWAYS AT SITE HAS BEEN DISMENTLED.

- SANCTIONED WORK SHOWN THIS
- DISMANTLE WORK SHOWN THIS
- COMPOUND WORK SHOWN THIS



TERRACE PLAN

SECTION A-A

COMPOUND CHART

FLOOR	SANCTIONED AREA	F.F.B. COMPOUND AREA	S.S.B. COMPOUND AREA	S.S.B.2 COMPOUND AREA	DISMANTLE AREA	REMARK
B.F.	110.85 MF	7.44 MF	6.54 MF	13.03 MF	35.94 MF	
G.F.	110.85 MF	7.44 MF	6.54 MF	13.03 MF	35.94 MF	
F.F.	110.85 MF	7.44 MF	6.54 MF	13.03 MF	35.94 MF	
S.F.	110.85 MF	7.44 MF	6.54 MF	13.03 MF	35.94 MF	
T.P.	110.85 MF	7.44 MF	6.54 MF	13.03 MF	35.94 MF	

Handwritten notes in Hindi and English, including a date '28/11/2016' and a signature.



KEY PLAN

It is certified that the building plan has been prepared according to Master Plan 2021 / Zonal Plan and Revised (April 2017)

EXISTING / COMPOUNDING BUILDING PLAN OF NURSING HOME ON PART OF SITE NO.146 B CIVIL STATION, ALLD.

OWNER :-

SCALE 1:100

DR. MANINDRA SINGH BAGHAL
DR. YOGENDRA SINGH BAGHAL
SMT. KARANJAN SINGH
SMT. ANURADHA SINGH

Handwritten signatures and stamps, including 'S.D. OF OWNER' and 'S.D. OF ENG.'.